



फर्द अहकाम

रामजीलाल वगै० बनाम मंगल वगै०

पत्र संख्या: 190 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.06.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा संबंधित विभाजन एवं रथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान कारशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 10.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	
10/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हों।</p>	
8/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हों।</p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील व वादीगण एकत्र वादी के वकील के वादीगण को वात-मात आवाज लगवाई गई लेकिन उनसे और भी कोई उपस्था नहीं होगी। वादी को वात-मात दावा करने से खर्च हुआ जाता है। वादी को वात-मात दावा करने से वादीगण को वात-मात दावा करने से खर्च हुआ जाता है। वादीगण को वात-मात दावा करने से खर्च हुआ जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	